


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>अपी:- श्री लेखू मंघानी</p> <p>रेस्पोंडेंट : श्री आकाश पारीक</p>
	<p>अधिभोगी से वसुली, किराये एवं क्षतिपूर्ति की राशि को बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा। उक्त कार्यवाही करते समय गवाहों को बुलाने एवं उनकी उपस्थिति बाध्य करने, दस्तावेजों को मंगवाने या अन्य किसी मामले में जिनको विहित किया जाये, सम्पदा अधिकारी को व्यवहार न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी। परिपत्र में अपील के प्रावधान एवं बेदखली आदेश या किराये एवं क्षतिपूर्ति निहित करने के आदेश के विरुद्ध जिला जज अथवा उसके द्वारा अधिकृत न्यायिक अधिकारी हो, के समक्ष की जा सकेंगी। यह अपील 15 दिवस के भीतर की जा सकती है। न्यायालय हाजा को अपील को सुनने व निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1964 की धारा 2(ख) सरकारी स्थान की उप धारा (4) में भी राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 (अब राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994) के अधीन स्थापित किसी पंचायत का वर्णन किया गया है। धारा 9(1) में भी धारा 5 या 7 के अधीन किसी सरकारी स्थान के बारे में सम्पदा अधिकारी द्वारा दिये गये प्रत्येक आदेश की अपील किसी ऐसे अपील अधिकारी को जो उस जिले का जिला न्यायाधीश होगा, जिसमें उक्त सरकारी स्थान स्थित है या कम से कम दस वर्ष की अवस्थित वाले उस जिले के ऐसे अन्य न्यायिक अधिकारी को होगी, जिसे जिला न्यायाधीश इस निमित्त पदाविदित करे। अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(2) के तहत प्रस्तुत की गई है। जिसे सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होकर सिविल न्यायालय को होने से प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किये जाने का स्वीकार किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।</p> <p>उक्त रेस्पोंडेंट अभिभाषक द्वारा की गई बहस के जवाब में अपीलान्त अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत अपील राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(2) के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलान्त आदेश (अनाधिकृत अधिभोगी बेदखली) अधिनियम 1964 में नहीं है।</p> <p>उभयपक्ष अभिभाषक की सुनी बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।</p> <p style="text-align: center;">सभागीय आयुक्त अजमेर</p> <p style="text-align: right;">निरन्तर</p>

प्रभुराम बनाम विकास अधिकारी पंचायत समिति मेडता व अन्य

अपील/पंचायत/02/2015

(2015/00036)

तारीख हुकम	हुकम व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>अपी:- श्री लेखू मंघानी</p> <p>रेस्पो0 : श्री आकाश पारीक</p> <p>जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश सम्पदा अधिकारी की हैसियत से जारी किया गया है। अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बसिलसिले विधिक व प्रारम्भिक आपत्ति बाबत क्षेत्राधिकार के अभाव मे खारिज किये जाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2015 इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p></p> <p>संभागीय आयुक्त अजमेर</p>	